उत्तर प्रदेश आकस्मिकता निधि (संशोधन) अधिनियम, 1972

(उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 3, 1972)

[उत्तर प्रदेश विधान सभा ने दिनांक 3–1–1972 ई० तथा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् ने दिनांक 7–1–1972 ई० की बैठक में स्वीकृत किया ।]

['भारत का संविधान के अनुच्छेद 200 के अन्तर्गत राज्यपाल ने दिनांक 19–1–1972 ई० को स्वीकृति प्रदान की तथा उत्तर प्रदेशीय सरकारी असाधारण गजट में दिनांक 20–1–1972 ई० को प्रकाशित हुआ ।]

उत्तर प्रदेश आकस्मिकता निधि अधिनियम, 1950 में अग्रेतर संशोधन करने के लिए

अधिनियम

भारतीय गणतन्त्र के बाइसवें वर्ष में एतद्द्वारा निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :

संक्षिप्त नाम

1—यह अधिनियम उत्तर प्रदेश आकस्मिकता निधि (संशोधन) अधिनियम, 1972 कहलायेगा ।

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 19, 1950 की धारा 4 का संशोधन

2—उत्तर प्रदेश आकस्मिकता निधि अधिनियम, 1950 की धारा 4 में :—

(1) उपधारा (3) के पश्चात् निम्नलिखित उपधारा बढ़ा दी जाय, अर्थात् :—

"(4) उत्तर प्रदेश आकस्मिकता निधि (संशोधन) अधिनियम, 1972 के प्रारम्भ होने पर राज्य सरकार दस करोड़ रुपये की और धनराशि राज्य की संहृत निधि में से निकालेगी और उसे इस निधि में जमा कर देगी ।"

(2) पार्श्वशीर्षक में अंक तथा शब्द '4 करोड़ रुपये की एक और धनराशि', तथा शब्द 'का निकाला जाना' के बीच में अंक तथा शब्द 'तथा 10 करोड़ रुपये की एक और धनराशि' रख दिये जायं।

धारा 6 का संशोधन

3—उत्तर प्रदेश आकस्मिकता निधि अधिनियम, 1950 की धारा 6 की उपधारा (1) के रूप में पुनरांकित किया जाय और निम्नलिखित उपधारा (2) के रूप में जोड़ दिया जाय :—

"(2) इस अधिनियम के अधीन बनाये गये सभी नियम, बनाये जाने के पश्चात्, यथाशक्य शीघ्र राज्य विधान मंडल के प्रत्येक सदन के समक्ष, जब उसका सत्र हो रहा हो, उसके एक सत्र या एकाधिक अनुक्रमिक सत्रों में कम से कम कुल तीस दिन की अवधि पर्यन्त रखे जायेंगे और, जब तक कि कोई बाद का दिनांक निर्धारित न किया जाय, गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से, ऐसे परिष्कारों या अभिशून्यनों के अधीन रहते हुये प्रभावी होंगे जो विधान मण्डल के दोनों सदन उक्त अवधि में करने के लिये सहमत हों, किन्तु इस प्रकार का कोई परिष्कार या अभिशून्यन सम्बद्ध नियमों के अधीन पहले की गयी किसी बात की वैधता पर प्रतिकूल प्रभाव न डालेगा ।"

[उद्देश्य और कारणों के विवरण के लिए कृपया दिनांक 1–1–1972 ई० का सरकारी असाधारण गजट देखिये ।]

पी० एस० यू० पी०—ए० पी०—237 जनरल (लेग)—1972–1,819+50 (मे०) ।

UTTAR PRADESH CONTINGENCY FUND (AMENDMENT) ACT, 1972

(U. P. Act No. 3 of 1972)

[**Authoritative English Text of the Uttar Pradesh Akasmikata Nidhi (Sanshodhan) Adhiniyam, 1972.*]

AN
ACT

further to amend the Uttar Pradesh Contingency Fund Act, 1950

It is hereby enacted in the Twenty-Second year of the Republic of India as follows :

Short title.

1. This Act may be called the Uttar Pradesh Contingency Fund (Amendment) Act, 1972.

Amendment of section 4 of U. P. Act XIX of 1950.

2. In section 4 of the Uttar Pradesh Contingency Fund Act, 1950—

(i) *after* sub-section (3) the following sub-section shall be *inserted*, namely :

"(4) The State Government shall, on the commencement of the Uttar Pradesh Contingency Fund (Amendment) Act, 1972, withdraw a further sum of ten crores of rupees out of the Consolidated Fund of the State and place it to the credit of this Fund";

(ii) in the marginal heading, *after* the words "and another sum of four crores of rupees" the words "and a further sum of ten crores of rupees" shall be *inserted*.

Amendment of section 6.

3. Section 6 of the Uttar Pradesh Contingency Fund Act, 1950 shall be *re-numbered* as sub-section (1) and thereafter the following sub-section (2) shall be *inserted* :

"(2) All rules made under this Act shall, as soon as may be after they are made, be laid before each House of the State Legislature, while it is in session, for a total period of thirty days which may be comprised in its one session or in two or more successive sessions and shall, unless some later date is appointed, take effect from the date of their publication in the *Gazette* subject to such modifications or amendments as the two Houses of the Legislature may during the said period agree to make, so however, that any such modification or annulment shall be without prejudice to the validity of anything previously done thereunder."

(*For Statement of Objects and Reasons, please *see Uttar Pradesh Gazette Extraordinary*, dated January 1, 1972.)

(Passed in Hindi by the Uttar Pradesh Legislative Assembly on January 3, 1972 and by the Uttar Pradesh Legislative Council on January 7, 1972.)

(Received the Assent of the Governor on January 19, 1972 under Article 200, of the Constitution of India and was published in the *Uttar Pradesh Gazette Extraordinary*, dated January 20, 1972.)

गो० एस० यू० पी०—ए० पी० 238 जनरल (लेग)—1972—1,837+50 (मे०)